"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 58]   रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 फरवरी 2016—— माघ 28, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-14/2013/1/एक. —— माननीय श्री रामसेवक पैकरा, मंत्री, गृह, जेल एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, छत्तीसगढ़ के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आबंटन) नियम, के नियम चार के अनुसरण में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल उनको आवंटित गृह, जेल एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को माननीय श्री अजय चन्द्राकर, मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, संसदीय कार्य, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा को अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंपते हैं.

2. माननीय श्री रामसेवक पैकरा बिना विभाग के मंत्री बने रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.